

राजस्थान सरकार  
शिक्षा विभाग

## कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (कॉ-44) आकाशि / अनु / 09 / 7/9

दिनांक 11/9/2018

### आदेश

सत्र 2010-11 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वायत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित संकाय/विषय हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	कॉ-44	सचिव, भवानी शिक्षा निकेतन समिति, 344-ए कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर	वी.एस.एन. महाविद्यालय, बक्सावाला जेडीए स्कॉम के सामने बाटिका रोड, सांगानेर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र वाणिज्य संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - एबीएसटी, ईएएफएम, व्यवसायिक प्रशासन — वी.वी.ए., वी.सी.ए.

- छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को स्वीकृत पाद्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित नापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यूजी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी।
- संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करनी होगी।
- संस्था को निर्धारित नापदण्डों के अनुसार भूमि एवं भवन तथा स्टाफ को उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे।
- महाविद्यालय के लिए निर्धारित भूमि-भवन में अन्य किसी शिक्षण संस्था का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
- संस्था को 30 सितम्बर, 2009 तक योग्यताधारी प्राचार्य, व्याख्याता तथा अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्धक विश्वविद्यालय के अनुमोदन सहित आयुक्तालय को सूचित करना होगा।
- संस्था/ महाविद्यालय को यूजी.सी. राज्य सरकार तथा बात्र कोसिल द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/ दिशा-निर्देशों की शब्दश: पालना करनी होगी।
- राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/ महाविद्यालय को देय नहीं होगा।

10. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था / महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था / महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
11. अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु महाविद्यालय को प्रति वर्ष निर्धारित समयावधि में ही आयेदेन करना होगा ।
12. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
13. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।
14. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।
15. सत्र 2009–10 हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त न होने पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

आयुक्त  
कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी संचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी संचिव, प्रमुख शासन संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी संचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर ।
5. विरोधाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. कुल संचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
7. संचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (राजेस्टर्ड ए.डी.)
8. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
9. संबंधित संस्था / मठाविद्यालय पत्रावली ।
10. रक्षित पत्रावली ।

१०.९.०९

संयुक्त-निदेशक (अनुदान),  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

## आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

फलाक : एक 4 (३०) आकाशी / नि.स. / २०१० / ७२१


आदेश

दिनांक: - ४/३/१७

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2016-17 से निम्नलिखित महाविद्यालय को रनातक स्तर पर पूर्ण संचालित राकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है।

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संचालित संकाय/विषय
ईएसएन कॉलेज, बबलायासा, जोड़ी, राजस्थान विश्वविद्यालय, ए. स्कॉल, विकारपुरा, बाटिका रोड, जयपुर, राजगांव, जिला—जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	रनातक स्तर पर कला संकाय— राजनीति विज्ञान, हिन्दी, इंटिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामाजिकान्व, लोकप्रशासन, वित्तकान्व। वाणिज्य संकाय—एवीएसटी, ईएएकएम, व्यावसायिक प्रशासन।

- संबद्धित विश्वविद्यालय एवं बी०सी०आ००से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व संख्या संख्या का होगा।
- संख्या महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अहंकारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अर्हकागिक रद्दाक की नियुक्ति के साथ—२ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संख्या को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय राहायता नहीं देगी।
- संख्या को समय—२ पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संख्या द्वारा राजस्थान गैर सरकारी ईकायक संख्या अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपलब्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- संख्या को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संख्या द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भीउल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
- संख्या को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीकण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संख्या को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- रांची प्रति वर्ष आयुक्तालय/ मनदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट [www.dce.rajasthan.gov.in](http://www.dce.rajasthan.gov.in) से रांचीकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाये भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- रांची महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [aishe.nic.in](http://aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेंगी।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।



कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—
- विशिष्ट साहायक, ना० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
  - निजी संचिय, अंती० मुख्य संचिय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
  - जिला कलेक्टर, जयपुर।
  - युल संचिय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
  - संचिय, सम्बन्धित महाविद्यालय।
  - सांखियकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
  - रक्षित पत्रावली

५ पृष्ठ  
संयुक्त-निदेशक (निजी संचिय)  
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर